

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 190/2018

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जालमसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भटनोखा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।	तहसीलदार, मुण्डवा।	

उपस्थिति :-

1. श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:26.07.19

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 63/2018 सरकार बनाम जालमसिंह में निर्णय दिनांक 20.07.18 के तहत मौजा भटनोखा के खसरा नं. 431 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 09.08.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 63/18 सरकार बनाम जालमसिंह की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील अधिवक्ता उपस्थित हुए।


{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-


{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-आदेशिका दिनांक 02.07.18 को अपीलांत को तलब करने की थी। अपीलांत हाजिर भी हुआ लेकिन अपीलांत के हाजिर होने से पूर्व ही यानि दिनांक 01.07.18 को ही पटवारी हल्का के बयान अपीलांत की गैर मौजूदगी मे लेकर शामिल पत्रावली कर करने का अंकन है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना आनन-फानन मे अपीलांत को केवल मात्र गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने के दुराशय से सारी कार्यवाही पटवारी हल्का के अनुचित प्रभाव के चलते की गई है तथा निर्णय छपे छपाये परफोरमा मे मात्र खाली जगह भर कर औपचारिकताये पूरी की है खुलासा निर्णय नहीं है तथा प्रिन्टेड फार्म पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ मे भी नहीं आता है। इन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओ के मध्य नजर अपील स्वीकार कर निर्णय जेर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)-अपीलांत का कथित खसरा नं. 431 गै.मु. रास्ता के किसी भी भू भाग पर न तो पूर्व मे कभी कब्जा / अतिक्रमण रहा है न आज दिन है। अपीलांत से नाराजगी रखने वाले आईदानराम वगैरा ने पटवारी हल्का को अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर अपीलांत के विरुद्ध अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश करवायी है। जबकि कथित खसरा नं. 431 के चिपता ही अपीलांत की खातेदारी का खेत खसरा नं. 430 स्थित है तथा रास्ते की तरफ पीढियो पुरानी सींव माठे, दीवार आदि कायम है। इसलिये अपीलांत द्वारा कथित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा यहां यह तथ्य दर्ज

Page 1 of 3




अपर कलक्टर, नागौर

करना भी आवश्यक होगा कि पटवारी हल्का ने मौके पर आकर नाप चोप व निरीक्षण किये बिना ही अपीलांट के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट पेश तहसील कार्यालय में पेश कर कार्यवाही संचालित करवाई तथा अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत के जरिये वास्तविक स्पष्ट करने के अवसर से वंचित रखते हुए व पटवारी से जिरह का अवसर दिये बिना, अपीलांट की तलबी से पूर्व ही पटवारी के बयान लेकर अपीलांट की पीठ पीछे उसे सुना बिना अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित करने का कठोरतम निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अपीलांट ने सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण नहीं होने का शपथ पत्र भी पेश किया है।


{2}(IV)—अपीलांट ने यह निवेदन किया है कि अपीलांट का उसकी खातेदारी की भूमि के अलावा एक इंच भूभाग पर भी कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं है। इसके बावजूद यदि अपीलांट की उपस्थिति में उसकी खातेदारी भूमि व रास्ते का नाप चोप किया जाता है व रास्ते पर अपीलांट का कोई कब्जा पाया जाता है तो वैसी सूरत में अपीलांट तुरंत ऐसा कोई कब्जा है तो उसे हटाने को तैयार था, है व रहेगा। इसके अलावा यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि कथित रास्ता खसरा नं. 431 व 618/539 पर आईदानराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी भटनोखा द्वारा कच्ची पत्थरो की दीवार निकाल कर अतिक्रमण कर लिया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिस पर अपीलांट व अन्य पड़ोसी खातेदारों ने इसकी शिकायत की जिससे नाराज होकर आईदानराम ने पटवारी हल्का से मिलावट कर उल्टा अपीलांट व अन्य रास्ते के पड़ोसी खातेदारों के खिलाफ झूठा अतिक्रमण का मुकदमा करवा कर हस्तगत कार्यवाही करवायी है तथा उक्त आईदानराम ने मौके पर से आज भी कब्जा नहीं हटाया है तथा अपीलांट व अन्य पड़ोसियों का कब्जा नहीं होते हुए भी उनके विरुद्ध झूठी अतिक्रमण की कार्यवाही करवायी है। अपीलांट व अन्य खातेदारों ने सिविल कोर्ट व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के न्यायालय में भी आईदानराम के खिलाफ पैरवी की थी तथा आईदानराम द्वारा रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को बचाये रखने के लिये जो दावा किया उसे खारिज करवाया। दावा खारिज होने पर उक्त आईदानराम ने अपील पेश की जिसे भी राजस्व अपील अधिकारी ने खारिज कर दी थी, इसके बावजूद हठधर्मितापूर्वक आईदानराम ने कब्जा बनाये रखता है तथा द्वेषतापूर्वक कार्यवाही पटवारी हल्का से मिलावट कर अपीलांट व अन्य शिकायत करने वालों पर दबाव बनाने के लिये करवायी है।

{2}(V)—अपीलांट व अन्य खातेदारों ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिये आवेदन पत्र तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष पेश किया था, जिस पर तहसीलदार मुण्डवा ने दिनांक 6.4.18 को नाप करने व सीमाज्ञान कराने हेतु पटवारी हल्का, आरआई हल्का को आदेश दिया जिसकी पालना में दिनांक 3.5.18 को मौके पर नाप चोप करने आये मगर उन्होंने अपीलांट व अन्य खातेदारों को न तो नाप चोप बताया न ही कोई नाप किया। मौखिक रूप से बता दिया कि आपकी खातेदारी की सीमा यहां तक है, मौका रिपोर्ट में कोई नाप चोप करने का हवाला नहीं है न ही अपीलांट का रास्ता पर कब्जा/अतिक्रमण होना बताया। यदि अपीलांट का रास्ते पर अतिक्रमण होता तो उस सीमाज्ञान व नाप में रास्ते पर अतिक्रमण होना व रास्ते की तरफ अपीलांट का बढ़ना अवश्य बताया जाता है जो उक्त मौका रिपोर्ट में नहीं बताया है तथा गोलमाल रिपोर्ट तैयार की गयी थी।

{2}(VI)—इस प्रकार अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि या रास्ते के भू भाग पर कोई कब्जा / अतिक्रमण नहीं है तथा न ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमण है पूर्व के कथित प्रकरण में अपीलांट की कोई विधिवत सुनवाई नहीं हुई है न तथाकथित कोई बेदखली हुई थी, उसकी आड में अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना गया है जबकि रास्ते पर कथित आईदानराम वगैरा द्वारा किये गये अतिक्रमण की अपीलांट स्वयं ने शिकायत की है तथा सक्षम न्यायालय में इस संबंध में पक्षकार बनकर मामले कन्टेस्ट किये हैं ऐसी सूरत में अपीलांट द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलांट के विरुद्ध सारी कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक की गयी है ऐसी सूरत में निर्णय जैर अपील विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)—हस्तगत प्रकरण में बिना किसी प्रकार की जांच किये व तहसीलदार ने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा मौके पर रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवाये बिना ही सरसरी तौर पर जल्दबाजी में निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।




अपर कलेक्टर, नागौर

{2}(IX)—उपरोक्त परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील अपास्त कर तहसीलदार की उपस्थिति में टीम बना कर रास्ते व उसके आस पास के खातेदारों की जमीनों व अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि का नाप चोप करवा कर अपीलान्ट की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश/निर्देश दिया जाना प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है। यदि ऐसे नाप चोप में अपीलान्ट का यदि रास्ते के किसी भू भाग पर कोई कब्जा पाया जायेगा तो अपीलान्ट उसी वक्त ऐसा कब्जा हटाने को तैयार है व रहेगा। चूँकि अपीलान्ट की मौजूदगी में कोई नाप चोप नहीं किया है। अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि की सीवे माटे पीढियों पुरानी माफिक खातेदारी कायम है अपीलान्ट के खेत के पास रास्ता कभी भी अवरुद्ध नहीं रहा है न ही अपीलान्ट के विरुद्ध किसी ग्रामवासी की ऐसी कोई पूर्व में शिकायत ही रही है केवल मात्र उक्त आईदानराम अतिक्रमी ने पटवारी हल्का से झूठी रिपोर्ट करवायी हैं। अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में बेदखली / मौके पर कब्जा हटाने की कोई फर्द पत्रावली में मौजूद नहीं है इसलिये अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद अपीलान्ट के विरुद्ध मिथ्या कार्यवाही कर सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है। इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।


{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा भटनोखा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भटनोखा के खसरा नंबर 431 रकबा 0.03 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इससे पूर्व में पत्रावली सं. 444/17 भौतिक रूप से बेदखली की गई है। जिसको पटवारी के बयान दिनांक 01.07.18 से साबित भी करवाया गया है। जिससे अतिक्रमण की पुनरावृत्ति होना भी साबित है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर